5

MAGISTRATE FIRE

of Presiding Officer Case No. Order or Proceeding with Signature

राहाबक आरक्षी केन्द्र जन्दर द

Call Party रक्षक, आरक्षक.... प्रामिती क्षेत आरह जिपनिशिक्षक, / प्रधान

दण्डनीय अरायहा धारा 3 र जिल्ला अधिनियमके अह अभियुक्त / अभियुक्तगण के प्रस्तुत किया गया। नार १.६८....अंत्रानित स्त्यंध में 3 Eh 1000 100 m /परिवाद अपराध

が、か ए०र्डा०पः उत्रो० द्वारा र्राज्य

अभियुक्त / अभियुक्तगण....

प्रतुत आधिवक्ता Mas Tod गेमोरेण्डम / वकालतनामा 节 अरि 4 जिलाहर आभियुक्त / अभियुक्तगण 13..... निवासी / निवासी ग् SIFIL SAKE उपिश्थित। किया।

गया के भीतर प्रस्तुत किया पत्र/परिवाद पत्र समयावधि अभियोग

: धारा सान का आदेश किया जाता है। किये जाने के उपरोक्तानुसार द्ध्यमा विचार किया गया। अभियोग जे अवलोकन से प्रथम दृष्ट्य विराज्द /अभियुक्तगण के अधीन कायवाही विस्त्रम् अगम्युक्ताना प्रमुक्तियम क 3 हिं हो अस् अम्युक्ता हिंदा है। अस् अम्युक्ता हिंदा है। 47 प्रस्तुत दस्तावेज के विषय में संज्ञान पत्र व प्रस् अभियुक्त / अभियुक्तगण 四 द्0प्र0र्स0 प्रकरण प्रकट पत्र/परिवाद भाग्रद्धार्मा 130-(1) आधार

1028 9 July SHEET SHEET मजीयान प्रकरण का

जाव तिरुवा

100

जन्म नियुक्क दिलार के अधीन प्रावधाना ज़िता २०७ अभियुक्तार दिण्ड इ.शियोग पज अगियुक्त म रिक्राश्चा म

- ने गानि मिन

5 रतिमि नि त्राक 拉 7/18

विहित उपरात स्वामी किया न्यायालय के राजसात नष्ट कर Judicial magistrate first class साधारण रुपय व्यक्तिकम ।।हा सिकत न्यायालय आभियुक्त अपराष्ट को प्रदान कर पावती उसके कर 2 जनसुदा संपत्ति होते से न्यायो । रांपत्ति होते से न्यायो । रांपत्ति होते से व्ययनित की जाये। जनसुदा वाहन की दशा में सपुर्दगीनामा निरंत्र जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्याय प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध के अपिलेख संचयन हेते आवश्यक प्रतिपूर्ति अपिलेख संचयन हेते आवश्यक प्रतिपूर्ति अपिलेखांगार प्रेषित किया जाये। नोपिल किया अपराध मुल्यहीन होने से समित T Dist.Bhind Eupta. स्नपये 35 अथदण्ड अगियुक्त / अगियुक्तगण की स्वन्छय। प्रशाक स्वाप्ति माराक को ध्यान में रखते हुए निर्णरा प्रथाक अग्रियक कर बोगिल हिं अग्रियक्त को उक्त अग्रिय के अधीन दोषसिंद करते हु। अग्रियुक्त को अवधि के दण्ड एवं अग्रियुक्त को अवधि के दण्ड एवं अग्रियक से दण्डित किया गया। अधिदण्ड के संदाय के अधिदण्ड से दण्डित किया गया। अधिदण्ड के संदाय के अधिदण्ड से संग्रियक की प्रथक संदाय आभियुतत स्वेच्छया निर्णारा धारा धारा शादीनयम के अधीन अपराध की विशिष्टिया विरि को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभि करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् य शाद्दों में लेखबद्ध किया गया। Gohad रजपये अदा की स्पीद कुछ. क0 <u>८५२</u> स्सीद क0 अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई प्रकरण उपरोत्ता निदेश अनुसार स कारावास भुगताया जावे। निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त with Signature रुनपये अभियुक्त/ ord to िर्णियानुसार 1005